लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
094/2022 (GCMS 2022/481)	23.12.2022	10.01.2023

अनवान

पूनम बैमाड़ निवासी बी 23, जय जवान अपार्टमेंट, विद्याधर नगर, सेक्टर नंबर 01, जिला जयपुर (मो.नं. 9460777022)

अपीलांट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::–

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 09.11.2022 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./094/2022(सू.अ.)(10.01.2023)/995 दिनांक 23.12.2022 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 10.01.2023 से पूर्व कमेंट्स/टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 10.01.2023 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से सूचना देने पर भी अपीलार्थी नियत दिनांक को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुआ। लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ ने अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2023 दिनांक 09.01.2023 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार हैः–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. यह कि प्रार्थिया पूनम बैमाड़ निवासी बी 23, जय जवान अपार्टमेंट, विद्याधर नगर, सेक्टर नंबर 01, जिला जयपुर द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन दिनांक 09.11.2022 को प्रस्तुत किया, जो इस कार्यालय में दिनांक 14.11.2022 से प्राप्त होना सही है।
2. यह कि प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत आवेदन के दोनों बिन्दुओं से वांछित सूचना की प्रमाणित प्रति इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/434 दिनांक 08.01.2023 से प्रार्थिया को जरिये रजिस्टर्ड डाक निःशुल्क भिजवायी जा चुकी हैं।
3. यह कि उक्तानुसार प्रार्थिया के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से वांछित सूचना प्रार्थिया को उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त इस प्रकरण पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहती हैं। अतः अपील पर जवाब स्वीकार कर अपील निरस्त करने की कृपा करावें।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2023 दिनांक 09.01.2023 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का अवलोकन कर उस पर मनन किया। जिसके अनुसार प्रार्थिया द्वारा वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/434 दिनांक 08.01.2023 से निःशुल्क जरिये रजिस्टर्ड डाक उपलब्ध करा दी गई हैं। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित करने पर भी अपीलार्थियां न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं आए, जिससे उनकी ओर से किसी भी प्रकार का जवाब/खण्डन पत्रावली पर उपलब्ध नहीं हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थियां को वांछित सूचना उपलब्ध करा दी जाने से अपील अपीलार्थिया खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाती हैं। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **10.01.2023** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

-SD-
(अरविन्द कुमार पोसवाल)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)